



प्रो. विनोद कुमार शर्मा
प्राचार्य

विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर-302004
फोन : 91-141-2710565

No. URCJ/2026/6471

Date: 07/07/2026

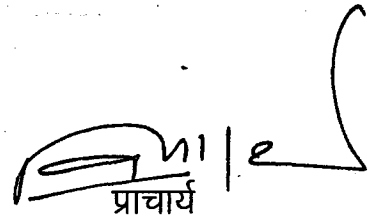
निविदा आमंत्रण पत्र

विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय के समस्त परिसर व छात्रावास में एक माह (कार्यादेश जारी होने की तिथि से) के लिए सफाई व्यवस्था के साथ-साथ कचरा उठाने के लिए एजेन्सी की सेवाएँ लेने हेतु ऑफलाइन सील बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। अतः इच्छुक फर्म/कम्पनी/निविदादाता अपनी निविदाएं निम्न विवरणानुसार राजस्थान महाविद्यालय स्टोर, कार्यालय में जमा करा सकते हैं।

क्र.सं.	कार्य अनुमानित लागत	कार्य विवरण	राशि प्रतिमाह
1.	99,000/-रु.	महाविद्यालय के समस्त परिसर (कमरों/टॉयलेट/गार्डनो/पार्किंग एरिया/पोर्च/छत/टायलेट) व छात्रावास की सफाई करवाने व सफाई कार्य में प्रयोग में आने वाली समस्त सामग्री सहित एवं कचरे को प्रतिदिन एकत्रित कर कचरा उठाना एवं उसका परिसर के बाहर ले जाकर उचित निस्तारण करने का कार्य	

इच्छुक व्यक्ति/फर्म उक्त कार्य हेतु बोली प्रपत्र निविदा सूचना एवं वि.वि की अधिकृत वैबसाइट www.uniraj.ac.in से प्राप्त कर कर सकते हैं। बोली प्रपत्र सीलबन्द लिफाफे में भरकर निर्धारित समय में महाविद्यालय स्टोर (कक्ष संख्या-07) में जमा कराएँ।

1. बोली फॉर्म जारी होने की तिथि : दिनांक 07.07.2026
2. बोली फॉर्म जमा कराने की अन्तिम तिथि : दिनांक 14.07.2026 दोपहर 1.00 बजे तक
3. तकनीकी बोली खोलने की तिथि : दिनांक 14.07.2026 दोपहर 3.00 बजे
4. बोली/कोटेशन खोलने का स्थान : राजस्थान महाविद्यालय (कक्ष संख्या-15)

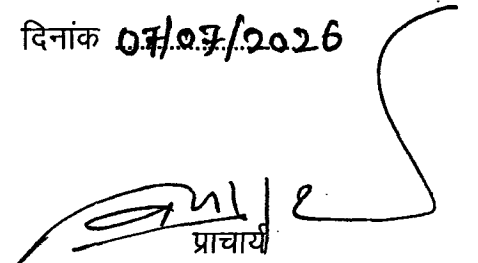

प्राचार्य

पत्रांक: यूआरसीजे/2026/6472-74

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, इन्फोनेट सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. उपकुलसचिव, सामान्य प्रशासन, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त सम्बन्धित।

दिनांक 07/07/2026


प्राचार्य

निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

1. विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय के समस्त परिसर (कमरों/टॉयलेट/गार्डनो/पार्किंग एरिया/पोर्च/छत/टायलेट) व छात्रावास की सफाई व सफाई कार्य में प्रयोग में आने वाली समस्त सामग्री (कीटनाशक/स्प्रै/आडिनिल/निथेलिन गोली/झाड़ू/पोचा/फिनाईल/बाल्टी/कपडा/डस्टबिन की पालीथिन/ व अन्य सामग्री) सहित एवं कचरे को प्रतिदिन एकत्रित कर कचरा उठाना एवं उसका परिसर के बाहर ले जाकर उचित निस्तारण करने के कार्य हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जा रही है।
2. सफाई उपकरणों की निम्न सूची के अनुसार सफल बोलीदाता द्वारा सफाई का कार्य निष्पादित किया जाना अनिवार्य है:-

क्र.सं	उपकरण / यंत्र	न्यूनतम मात्रा
I.	वेट एण्ड ड्राई स्कब मशीन	आवश्यकतानुसार
II.	कॉमर्शियल वैक्यूम क्लीनर	आवश्यकतानुसार
III.	इन्सेक्टीसाइड स्प्रै मशीन	आवश्यकतानुसार
IV.	हाई प्रेशर टॉयलेट क्लिनिंग मशीन	आवश्यकतानुसार
V.	दराती, गैती, फावड़ा, पराती, खुरपी आदि आवश्यक उपकरण	आवश्यकतानुसार
VI.	कूड़े/मलबे को परिवहन करने हेतु आवश्यक वाहन	आवश्यकतानुसार
VII.	विश्वविद्यालय के भवनों में स्थित शौचालयों से संबंधित सीवर लाईन सफाई से सम्बन्धित आवश्यक उपकरण	आवश्यकतानुसार

3. निविदा सूचना एवं वि.वि की अधिकृत वेबसाइट www.uniraj.ac.in राजस्थान विश्वविद्यालय पर प्रकाशित कर दी गई है।
4. निविदादाता से अपेक्षा है कि वह निविदा जमा करवाने से पूर्व सम्पूर्ण नियम का शर्तें का भली-भांति अध्ययन कर ले तथा महाविद्यालय के समस्त परिसर एवं छात्रावास तथा टॉयलेट इत्यादि सम्पूर्ण जगहों को निरीक्षण कर ले। इस संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु निविदा सूचना में अंकित दिनांक तक प्राचार्य राजस्थान महाविद्यालय कार्यालय समय से सम्पर्क किया जा सकता है। तत्पश्चात् महाविद्यालय किसी प्रकार के लिखित स्पष्टीकरण हेतु बाध्य नहीं है।
5. निविदादाता पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा मय समस्त वांछित प्रपत्रों के साथ पर निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय में जमा करवाये तथा निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. महाविद्यालय द्वारा प्राप्त निविदाओं को, निविदा सूचना में दर्शाये गए समय एवं दिनांक को उपापन समिति तथा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। निविदाये संबंधित फर्मों के उपस्थिति प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।
7. शेष शर्तें नियम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013 के अनुसार स्वतः ही मान्य होंगे। संबंधित कार्य हेतु औजार तथा ट्रेक्टर ट्रौली अपने स्वयं के खर्च पर लाने होंगे। इसके लिये कोई शुल्क अलग से देय नहीं होगा।
8. सफाई के दौरान एकत्रित कचरा (गीला एवं सूखा), टहनियाँ व घास-फूस/झाड़ियों निर्देशानुसार स्थानों पर एकत्रित कर बाहर ले जानी होगी।
9. प्राचार्य राजस्थान महाविद्यालय को किसी भी निविदा को, पूर्ण अथवा भाग को, स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत/निरस्त निविदाओं के निविदादाताओं से कोई विमर्श नहीं किया जायेगा।
10. ठेका जुलाई 2026 (एक माह) के लिये दिया जायेगा यदि उक्त अवधि में वृद्धि/कमी की जानी होगी तो सक्षम स्तर पर स्वीकृति एवं आपसी सहमति के पश्चात् ही निर्णय लिया जावेगा।
11. श्रमिकों के सम्भावित दुर्घटना एवं किसी भी हानि के लिये ठेकेदार / फर्म स्वयं उत्तरदायी होंगे।
12. निविदा प्रपत्र में बतायी गयी शर्तों के अतिरिक्त निविदादाता की कोई भी अन्य शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।
13. निविदादाता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
14. कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन के निर्णय अनुसार फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल में से बिल की 10 प्रतिशत तक जुर्माना राशि कटौती की जा सकेगी फर्म के कार्य से महाविद्यालय



- प्रशासन के संतुष्ट न होने की स्थिति में बकाया बिलों की राशि तथा सवेदक का कार्यादेश निरस्त किया जा सकता है। सवेदक के द्वारा नियुक्त समस्त श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान करने का दायित्व सवेदक का होगा।
15. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित सवेदक का होगा तथा बाल श्रमिक कानूनों की पालना सवेदक को करना अनिवार्य है।
16. सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी सवेदक की ही होगी।
17. समस्त दरें निर्धारित प्रफोर्मा (वित्त बिड) में अंकित करनी होगी।
- क्रम संख्या 1 से 16 तक से सभी शर्तें मुझे/हमें स्वीकार है।



हस्ताक्षर-निविदाकार